फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :—श्री चतरा बनाम विपक्षी :— श्री रूपा

किस्म मुकदमा — 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 23/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 17.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2, 3 उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण मे अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थी एकल स्वामित्व आधिपत्य होकर राजस्व रेकर्ड में खातेदार अंकित हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी हैं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बताया गया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा संबंधित विवाद रहता है जिससे प्रार्थीगण सीमांकन कराना चाहते है। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने जवाब में बताया कि प्रार्थनाग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 2 व 3 के कब्जे काश्त में होकर लगभग 100 साल से उपयोग उपभोग कर रहें हैं। प्रार्थी का उक्त भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा हैं। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा कथन कहा की प्रार्थनाग्रस्त भूनि प्रार्थी के नाम गलत आवंटन हुई हैं जिससे प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूनि में प्रार्थी खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि की पत्थरगढी कराये जाने का पूर्ण अधिकार हैं। विपक्षी द्वारा अपने जवाब में प्रार्थनाग्रस्त भूमि पर लगभग 100 वर्षो से अधिक समय से अपना कब्जा होने का कथन कहा हैं जिससे प्रकरण में सशर्त पत्थरगढी किये जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार योग्य पाया जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा मनोहरपुरा पटवार हल्का बग्गड, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 19 की आराजी न. 99 रकबा 0.1200 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीदार भीण्डर को 1000/— एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। **उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें।** तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:48:36 IST
Reason: SelfAttested